Details of CA Land

क्रमसं0	वृक्षारोपण क्षेत्र /ग्राम	खसरा सं0	रेंज का नाम	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल है0 में
1	थैना	766	कालसी – प्रथम रेंज	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	10.0000
2	गडैता	1, 4 एवं 5	कालसी – प्रथम रेंज	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	23.0000
3	लटौ	148	चुरानी रेंज नागथात	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	8.0000
				कुल क्षेत्रफल	41.0000

क्र0 सं0 ① व ② हेतु

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भारत सरकार)
National Highways Authority of India
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

M. K. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area....
Tehsil.... Dehradun

R. S. L...
Tehsil ...
Dehradun

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...
तहसील ... देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
साहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

Full Title of the Project: Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No. : FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal: 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 20.0849 Hectare

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु User Agency is ready to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

आदेश

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0 बसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्र सख्या 7091 दिनांक 06.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर–वानिकी क्षेत्र में 41.000है0 भूमि भा0रा0रा0प्रा0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं। **(पताका–क)**

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग व उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को प्रकरण में भूमि का संयुक्त निरीक्षण करते हुए आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।**(पताका–ख)**

प्रकरण में महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा दिनांक 12.10.2024 को तहसील कालसी के ग्राम गडैता, लखस्यार, लटी, गास्की व थैना में 44.035है0 भूमि की आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को उप जिलाधिकारी कालसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए सुस्पष्ट जॉच आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024–25 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में ग्राम गडेता लखस्यार, लटौ, कालसी, थैना में 44 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं एन0एच0ए0आई0 के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं0.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उपयुक्त भूमि रकबा (है0 में)	श्रेणी
1	कालसी	गडैता	44	1	12.000	श्रेणी 5(3)(ड)–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
				4	3.000	
				5	8.000	
2		थैना	87	766	10.000	
3		लटौ	91	148	8.000	
				योग	41.000	

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा) के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने चाली चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 41.00है0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण की मांग की गयी है। उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024–25 दिनांक 11/12/2024 के साथ संलग्न राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016दिनांक 28 जुलाई 2020 की शर्तो एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशो मे दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार जनपद देहरादून

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

तहसील कालसी के अन्तर्गत **ग्राम गडैत के खाता संख्या–44 के खसरा नं0 1 रकबा 12.000है0, खसरा नं0 4 रकबा 3.000है0, खसरा नं0 5 रकबा 8.000है0 व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं0 766 रकबा 10.000है0 तथा ग्राम लटौ के खाता संख्या 91 के खसरा नं0 148 रकबा 8.000है0 कुल रकबा 41.000है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित/हस्तांतरित किया जाता है:–**

1– भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विषेश के लिए आवश्यक हो।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

4– हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

5– यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायाल्य/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/–
(सविन बंसल)
जिलाधिकारी
देहरादून।
20.12.2024

XIIA-20 **कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।**

संख्या– 330/डी0एल0आर0सी0/2024 2023-26 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी।
5– मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
6:– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– उप जिलाधिकारी, कालसी को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमल दरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7– महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वसन्त विहार देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– कार्यालय प्रति।

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी देहरादून।

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Ashorori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

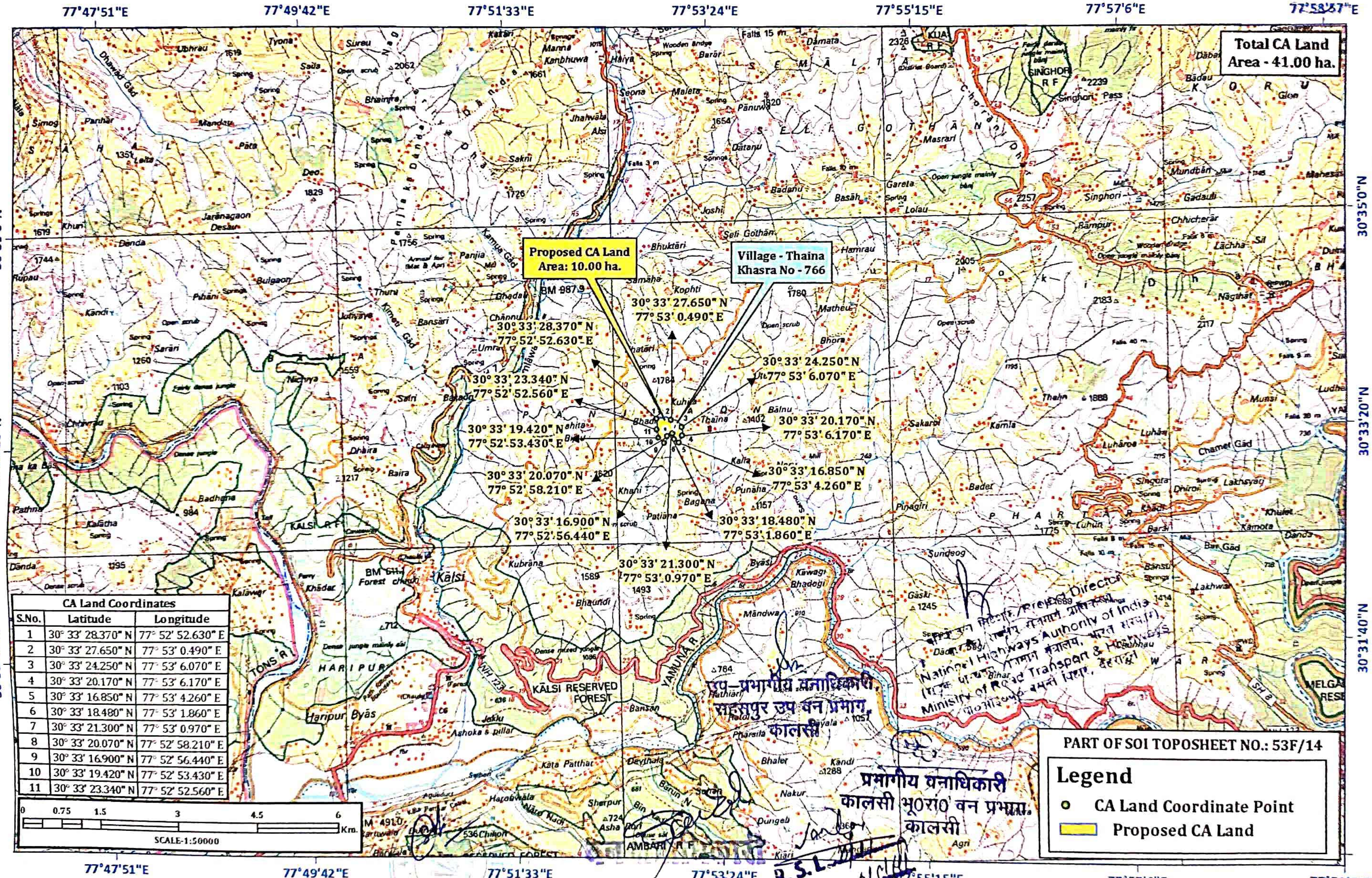

CA Land Coordinates		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 33' 28.370" N	77° 52' 52.630" E
2	30° 33' 27.650" N	77° 53' 0.490" E
3	30° 33' 24.250" N	77° 53' 6.070" E
4	30° 33' 20.170" N	77° 53' 6.170" E
5	30° 33' 16.850" N	77° 53' 4.260" E
6	30° 33' 18.480" N	77° 53' 1.860" E
7	30° 33' 21.300" N	77° 53' 0.970" E
8	30° 33' 20.070" N	77° 52' 58.210" E
9	30° 33' 16.900" N	77° 52' 56.440" E
10	30° 33' 19.420" N	77° 52' 53.430" E
11	30° 33' 23.340" N	77° 52' 52.560" E

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 53F/14

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

उप–प्रभागीय वनाधिकारी सहसपुर उप वन प्रभाग, कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू०रा० वन प्रभाग, कालसी

Project Director, National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport & Highways

R. S. L. Tehsil Dehradun

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

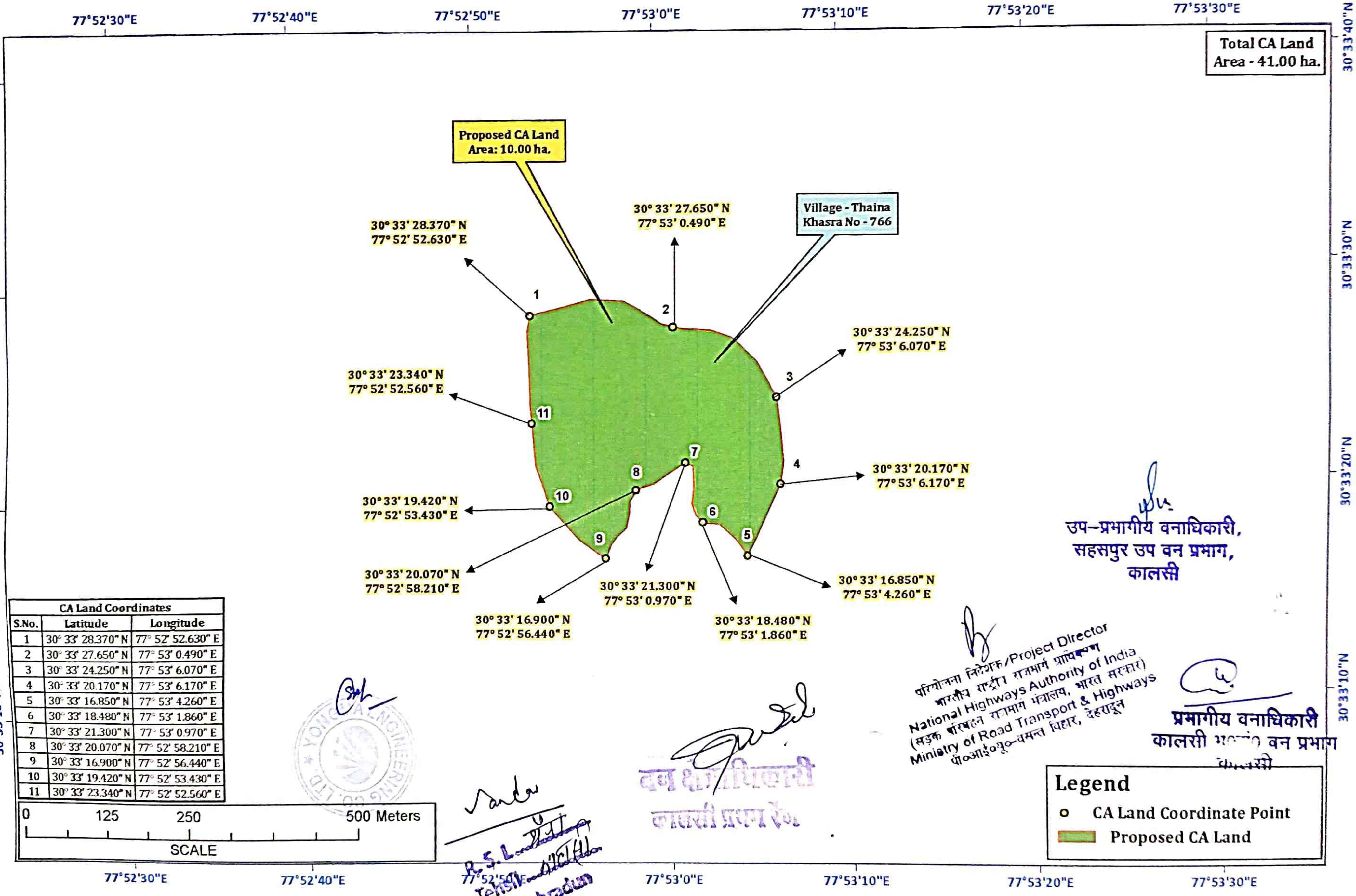

CA Land Coordinates		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 33' 28.370" N	77° 52' 52.630" E
2	30° 33' 27.650" N	77° 53' 0.490" E
3	30° 33' 24.250" N	77° 53' 6.070" E
4	30° 33' 20.170" N	77° 53' 6.170" E
5	30° 33' 16.850" N	77° 53' 4.260" E
6	30° 33' 18.480" N	77° 53' 1.860" E
7	30° 33' 21.300" N	77° 53' 0.970" E
8	30° 33' 20.070" N	77° 52' 58.210" E
9	30° 33' 16.900" N	77° 52' 56.440" E
10	30° 33' 19.420" N	77° 52' 53.430" E
11	30° 33' 23.340" N	77° 52' 52.560" E

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-चमन विहार, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू० वन प्रभाग
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रभाग रेंज

R. S. L.
Tehsil
Dehradun

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

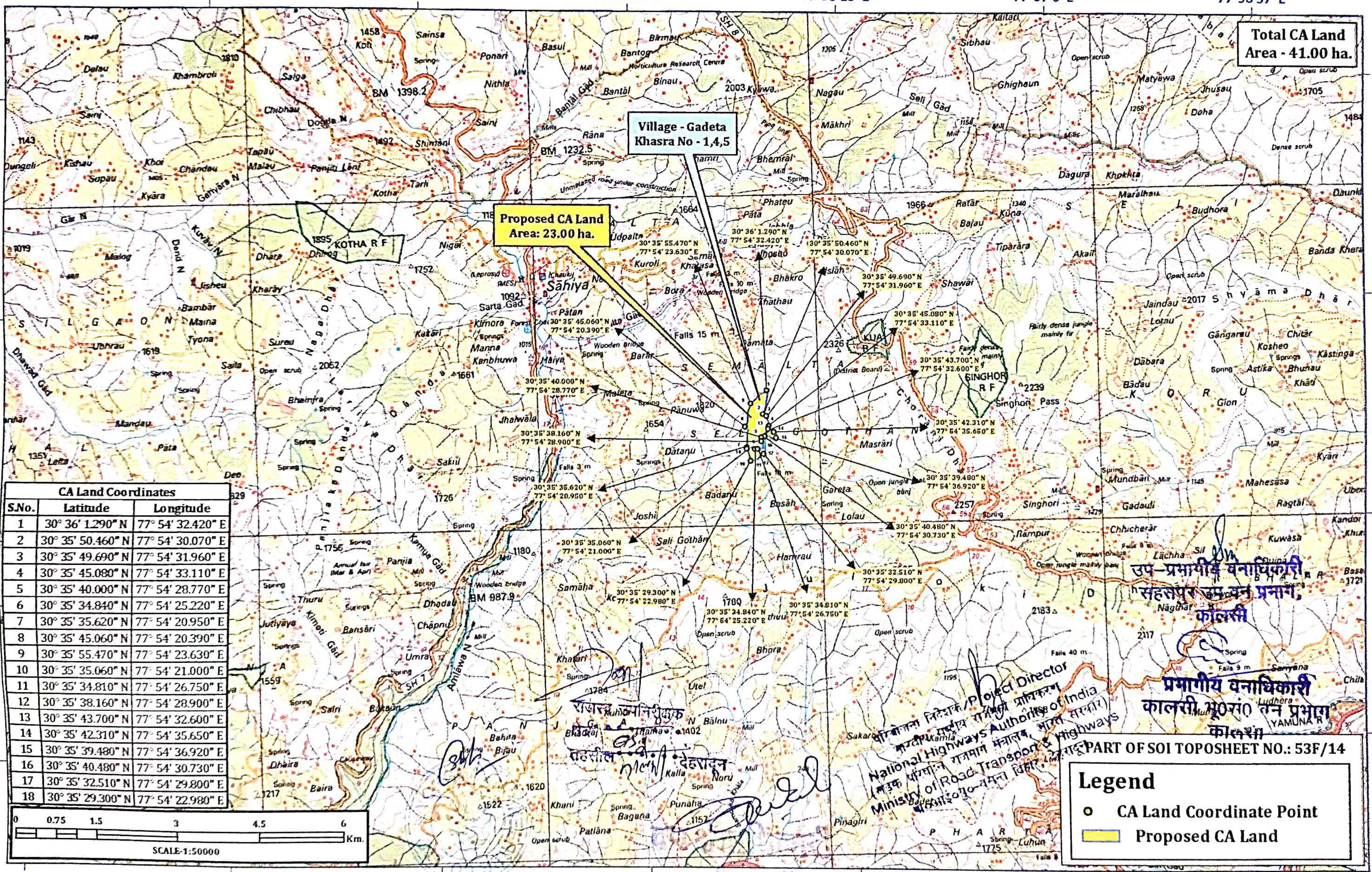

CA Land Coordinates		
S.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	30° 36' 1.290" N	77° 54' 32.420" E
2	30° 35' 50.460" N	77° 54' 30.070" E
3	30° 35' 49.690" N	77° 54' 31.960" E
4	30° 35' 45.080" N	77° 54' 33.110" E
5	30° 35' 40.000" N	77° 54' 28.770" E
6	30° 35' 34.840" N	77° 54' 25.220" E
7	30° 35' 35.620" N	77° 54' 20.950" E
8	30° 35' 45.060" N	77° 54' 20.390" E
9	30° 35' 55.470" N	77° 54' 23.630" E
10	30° 35' 35.060" N	77° 54' 21.000" E
11	30° 35' 34.810" N	77° 54' 26.750" E
12	30° 35' 38.160" N	77° 54' 28.900" E
13	30° 35' 43.700" N	77° 54' 32.600" E
14	30° 35' 42.310" N	77° 54' 35.650" E
15	30° 35' 39.480" N	77° 54' 36.920" E
16	30° 35' 40.480" N	77° 54' 30.730" E
17	30° 35' 32.510" N	77° 54' 29.800" E
18	30° 35' 29.300" N	77° 54' 22.980" E

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

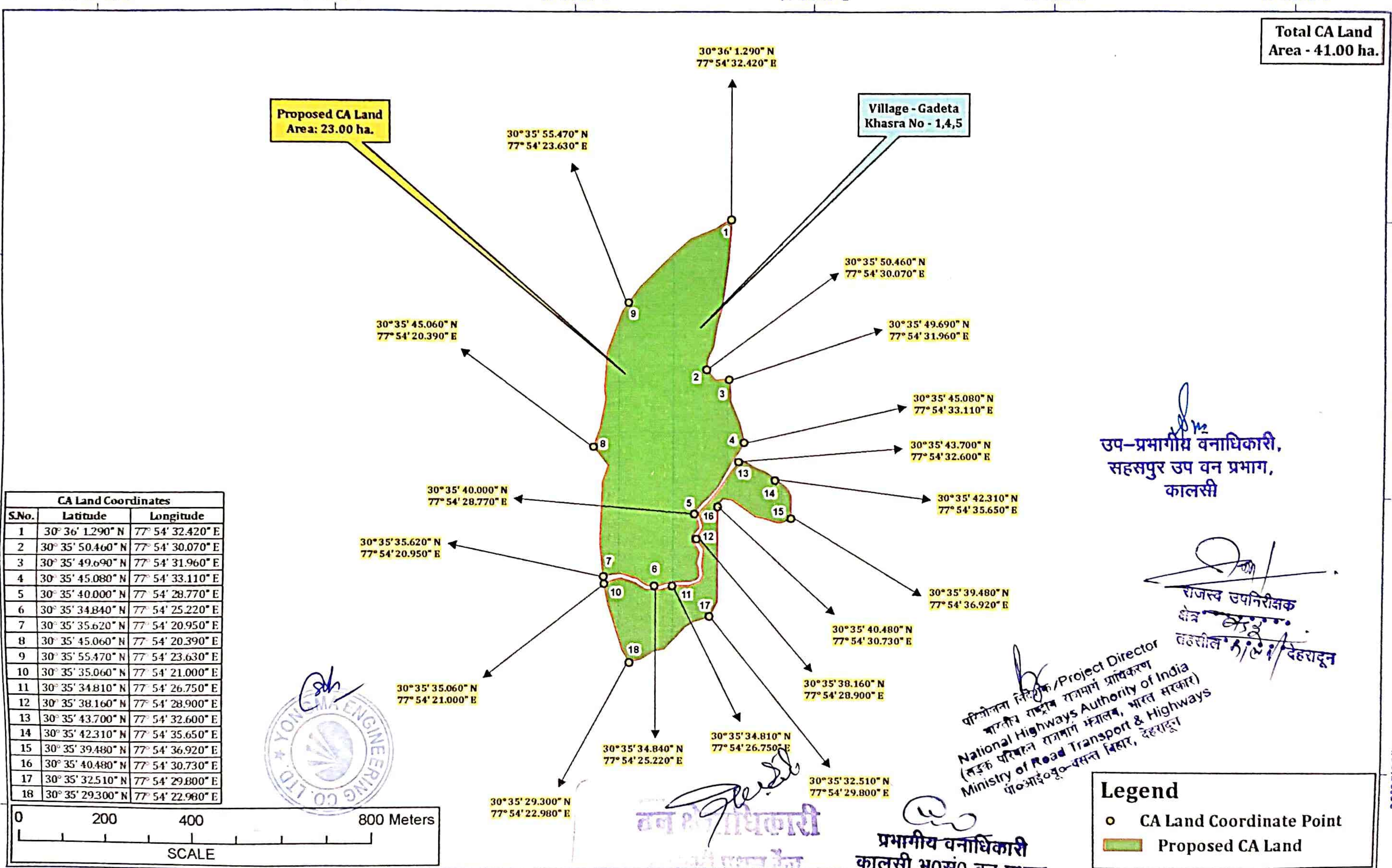

CA Land Coordinates		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 36' 1.290" N	77° 54' 32.420" E
2	30° 35' 50.460" N	77° 54' 30.070" E
3	30° 35' 49.690" N	77° 54' 31.960" E
4	30° 35' 45.080" N	77° 54' 33.110" E
5	30° 35' 40.000" N	77° 54' 28.770" E
6	30° 35' 34.840" N	77° 54' 25.220" E
7	30° 35' 35.620" N	77° 54' 20.950" E
8	30° 35' 45.060" N	77° 54' 20.390" E
9	30° 35' 55.470" N	77° 54' 23.630" E
10	30° 35' 35.060" N	77° 54' 21.000" E
11	30° 35' 34.810" N	77° 54' 26.750" E
12	30° 35' 38.160" N	77° 54' 28.900" E
13	30° 35' 43.700" N	77° 54' 32.600" E
14	30° 35' 42.310" N	77° 54' 35.650" E
15	30° 35' 39.480" N	77° 54' 36.920" E
16	30° 35' 40.480" N	77° 54' 30.730" E
17	30° 35' 32.510" N	77° 54' 29.800" E
18	30° 35' 29.300" N	77° 54' 22.980" E

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ......
तहसील ...... देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

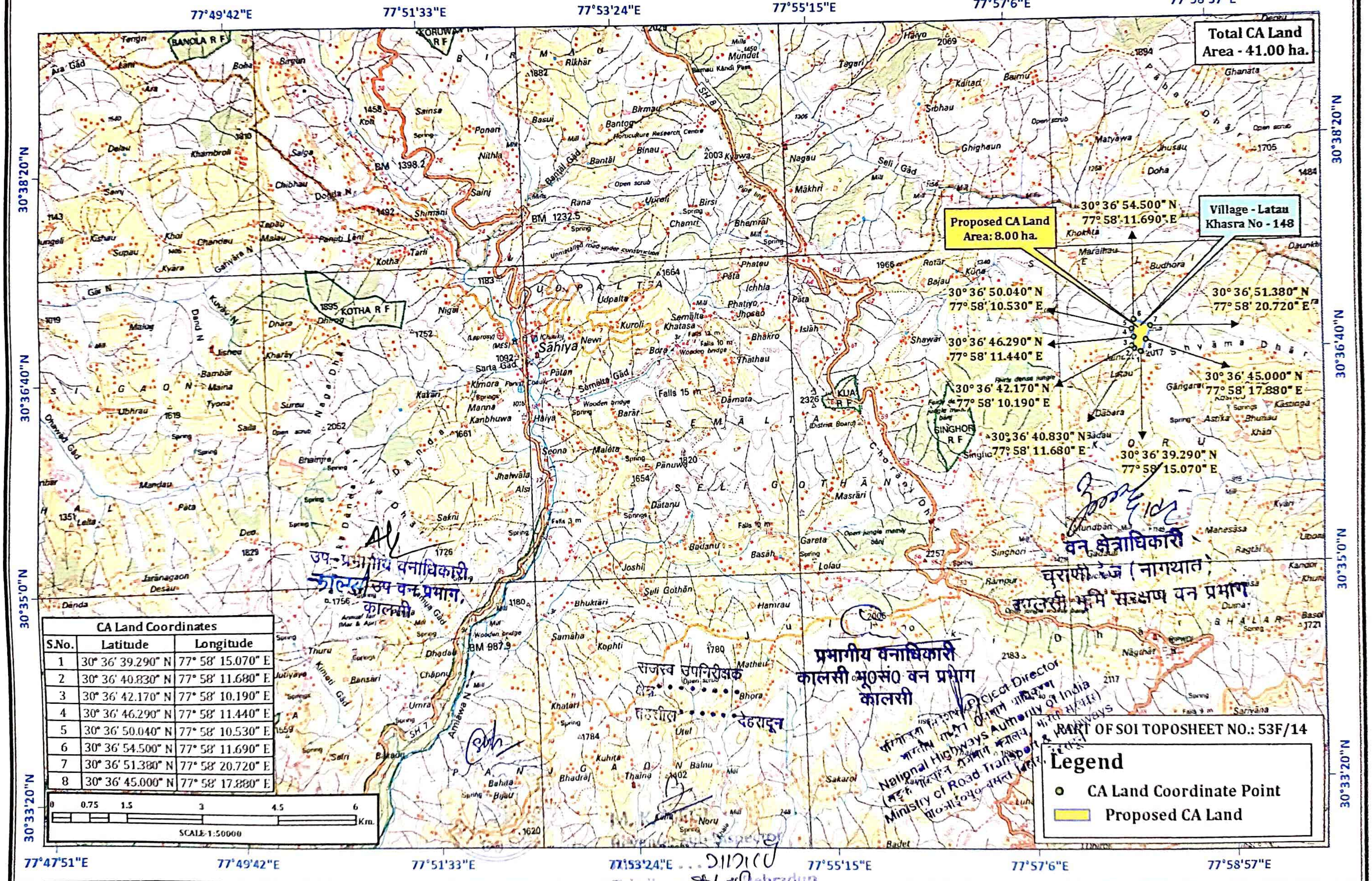

S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 36' 39.290" N	77° 58' 15.070" E
2	30° 36' 40.830" N	77° 58' 11.680" E
3	30° 36' 42.170" N	77° 58' 10.190" E
4	30° 36' 46.290" N	77° 58' 11.440" E
5	30° 36' 50.040" N	77° 58' 10.530" E
6	30° 36' 54.500" N	77° 58' 11.690" E
7	30° 36' 51.380" N	77° 58' 20.720" E
8	30° 36' 45.000" N	77° 58' 17.880" E

CA Land Coordinates

उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी उप वन प्रभाग, कालसी

वन क्षेत्राधिकारी चुराणी रेंज (नागथात) कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू०सं० वन प्रभाग कालसी

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र .... तहसील .... देहरादून

Project Director, National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport & Highways

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

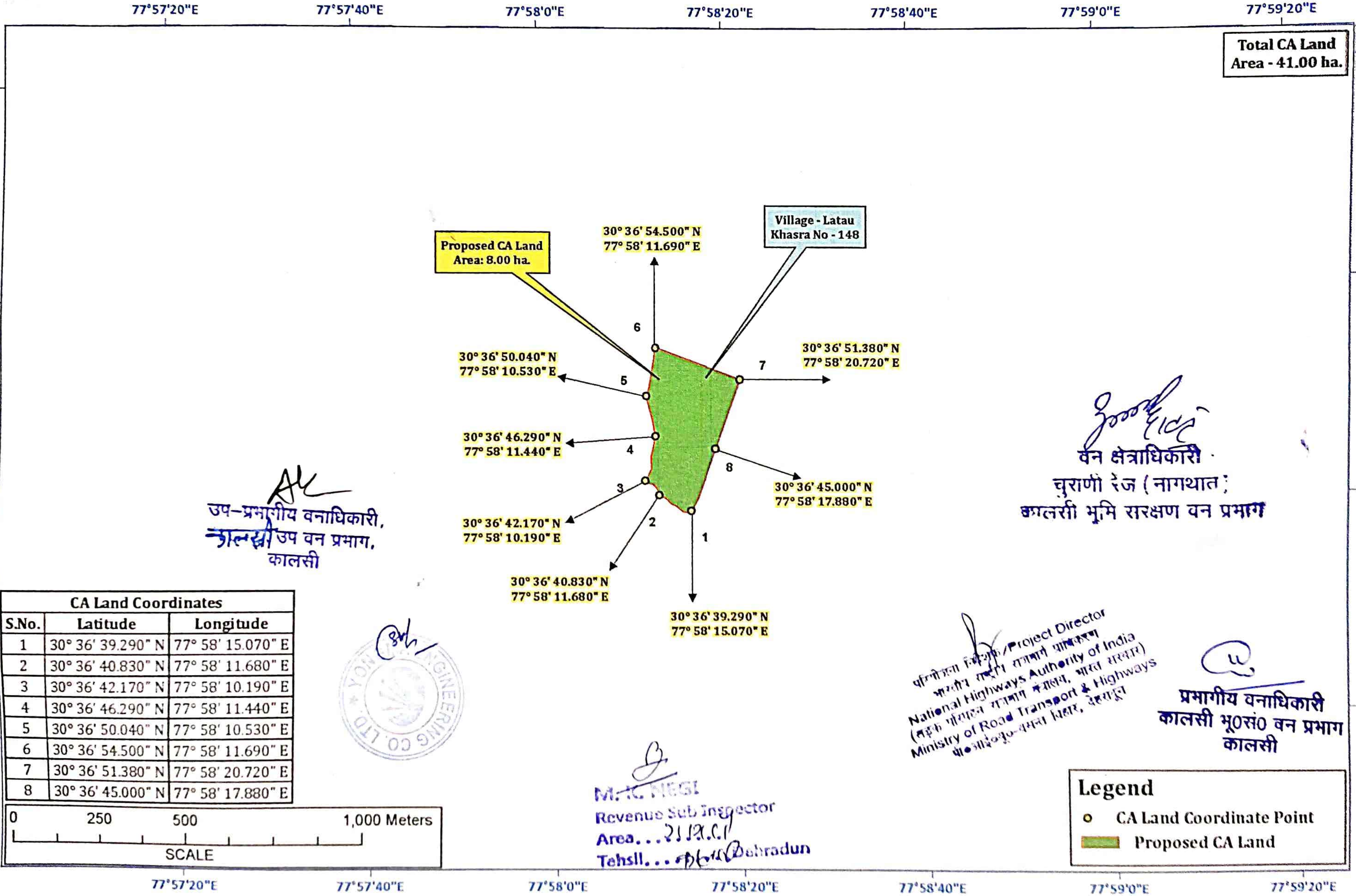

CA Land Coordinates

S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 36' 39.290" N	77° 58' 15.070" E
2	30° 36' 40.830" N	77° 58' 11.680" E
3	30° 36' 42.170" N	77° 58' 10.190" E
4	30° 36' 46.290" N	77° 58' 11.440" E
5	30° 36' 50.040" N	77° 58' 10.530" E
6	30° 36' 54.500" N	77° 58' 11.690" E
7	30° 36' 51.380" N	77° 58' 20.720" E
8	30° 36' 45.000" N	77° 58' 17.880" E

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-देहरादून, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

M. C. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area... 21/12.C.I
Tehsil... Dehradun

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण थैना ग्राम के खसरा संख्या 766 में 10.0000 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

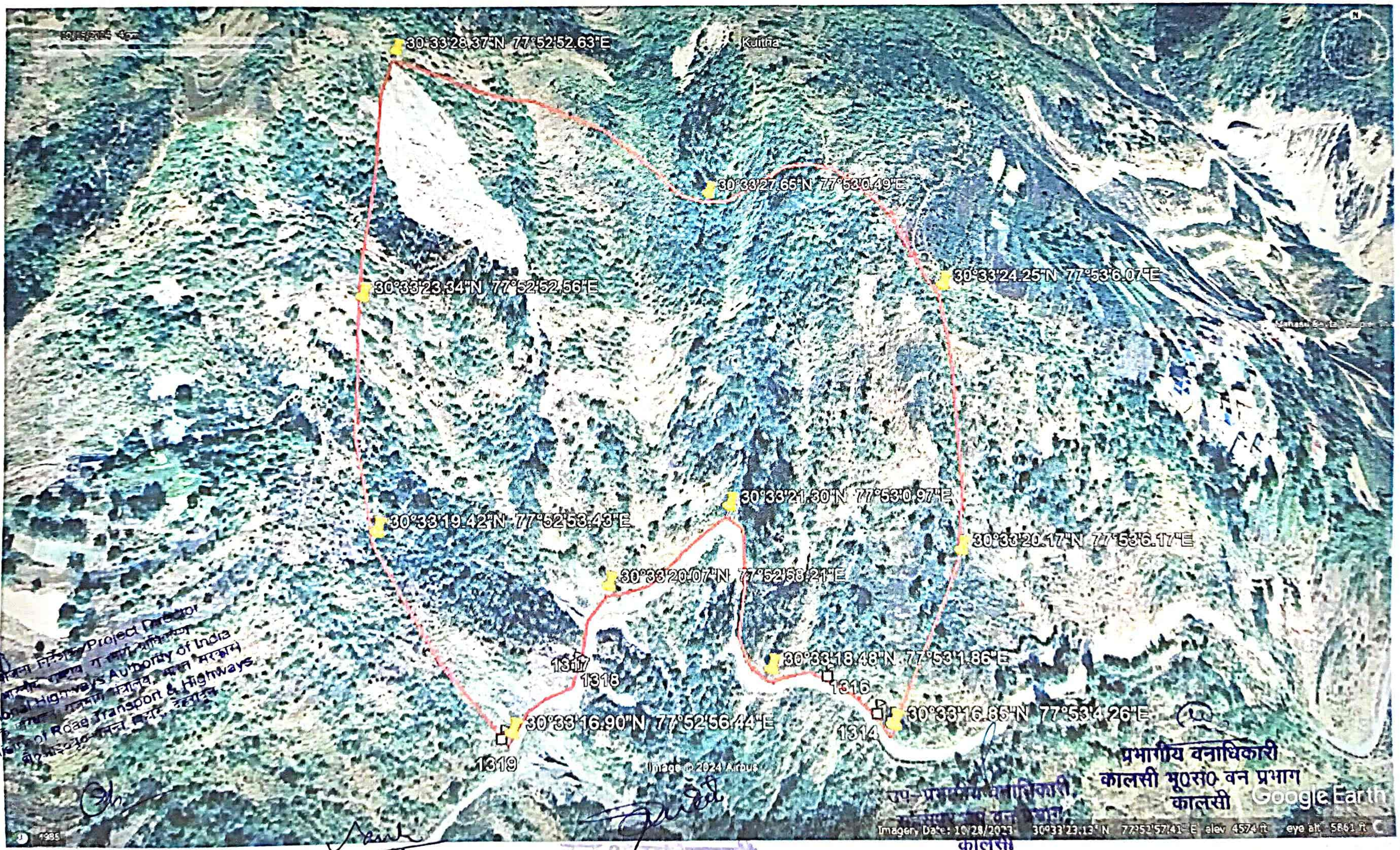

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport & Highways)

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

R. S. L. ...
Tehsil ...

DSS Report

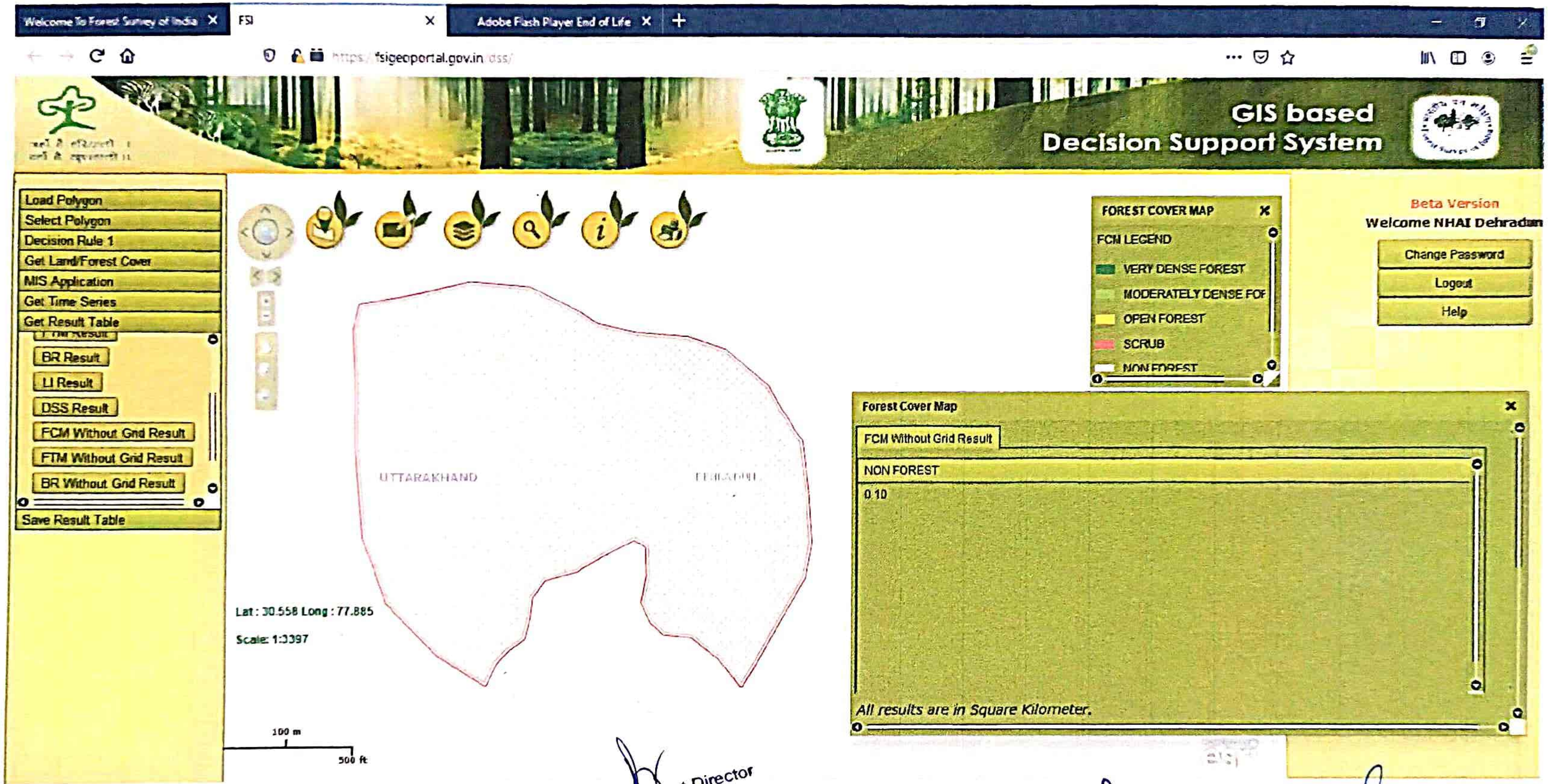

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

R. S. L.
Tehsil
Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

कालसी प्रथम रेंज

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण गडैता ग्राम के खसरा संख्या 1, 4 एवं 5 में 23.0000 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

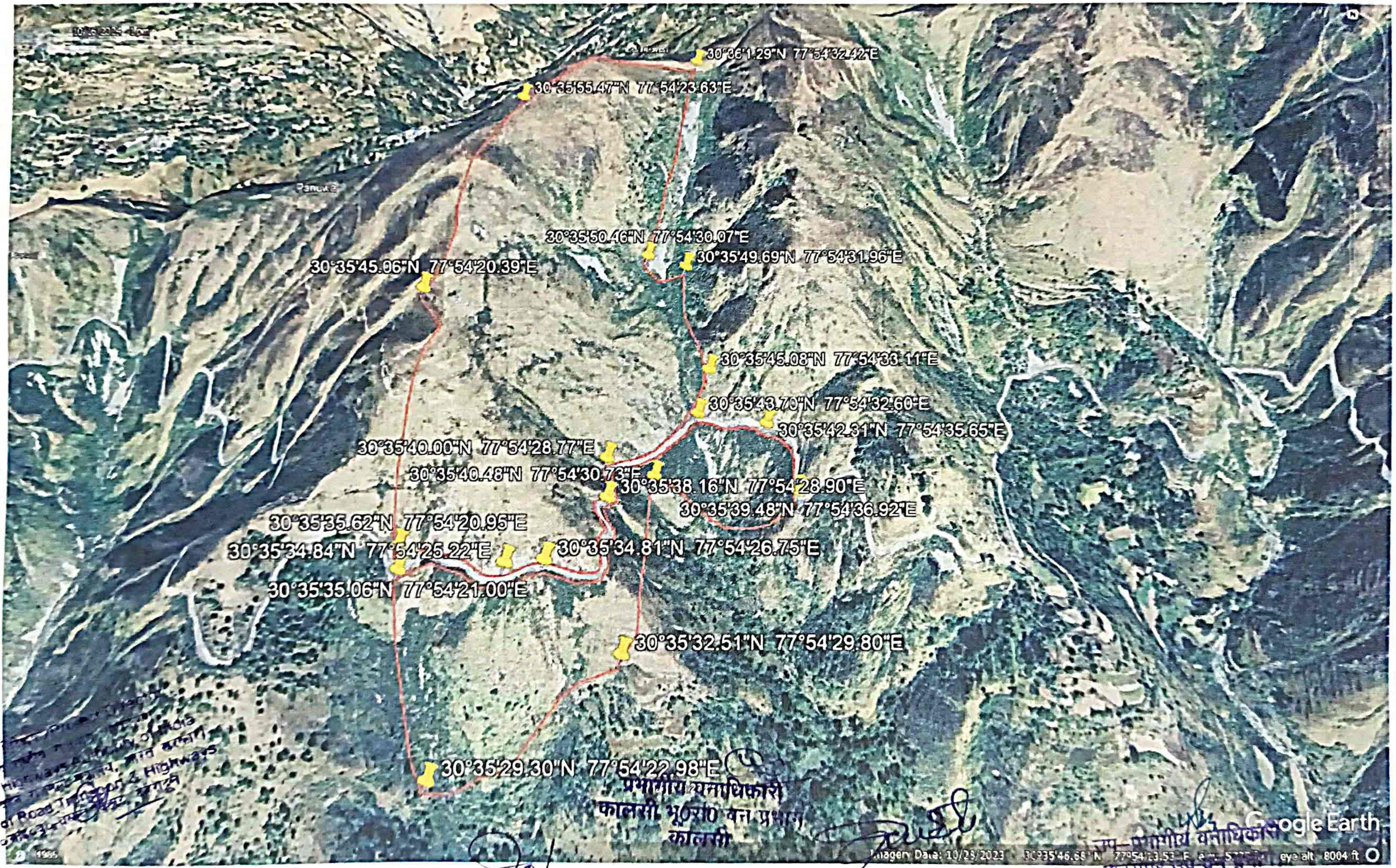

राजस्व उपनिरीक्षक

कालसी

DSS Report

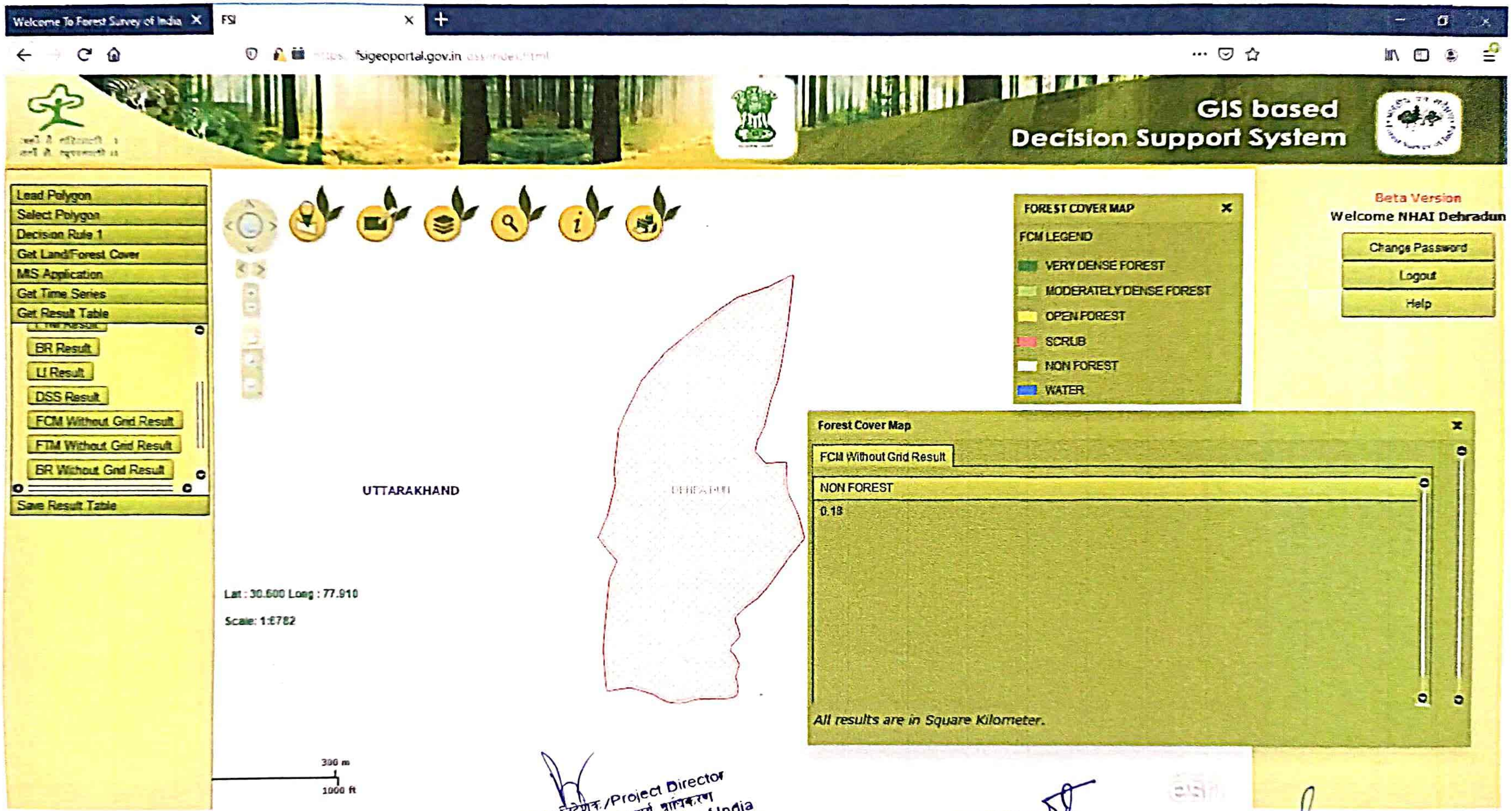

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

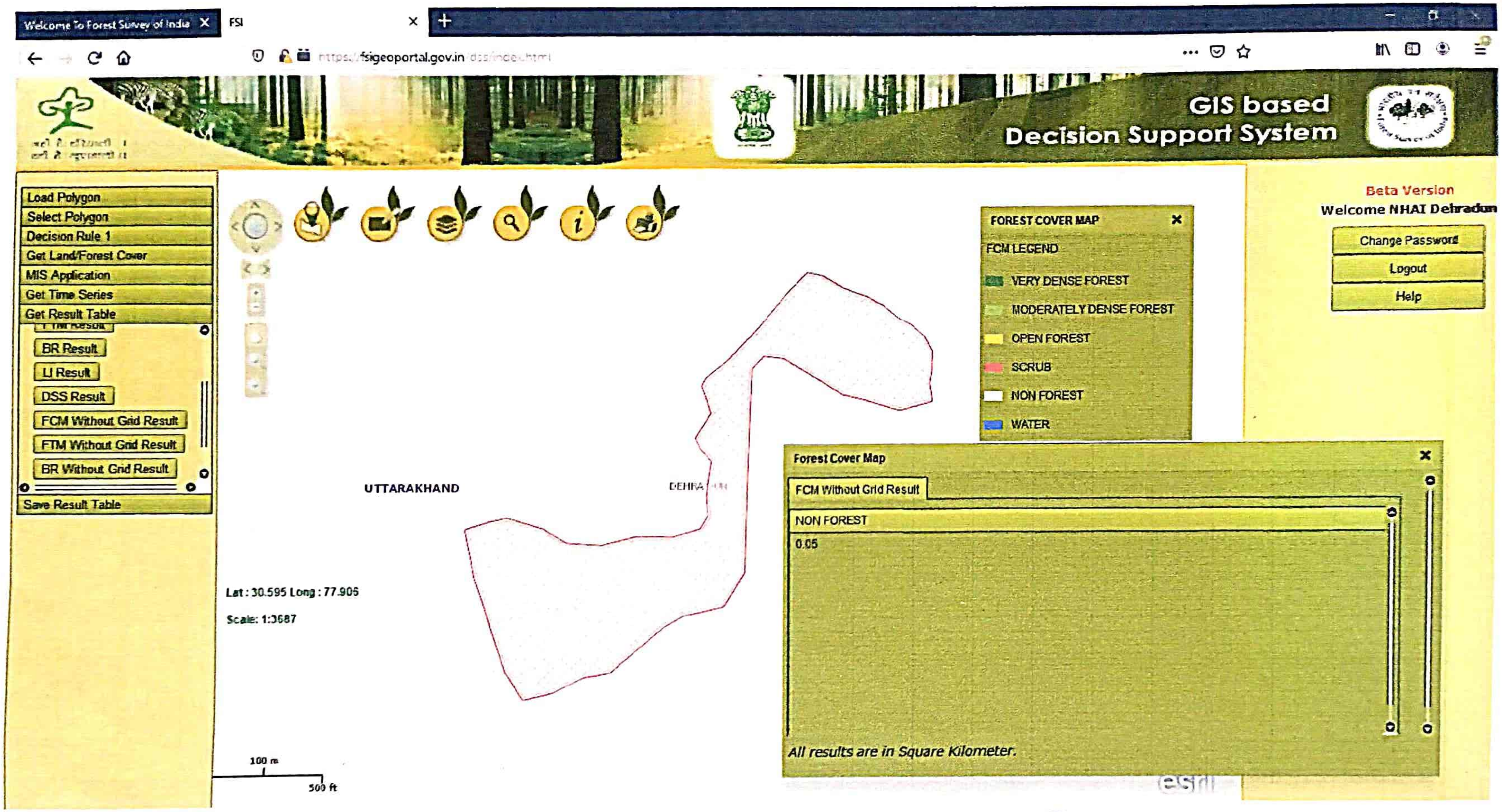

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
तहसील, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण लटौ ग्राम के खसरा संख्या 148 में 8.0000 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

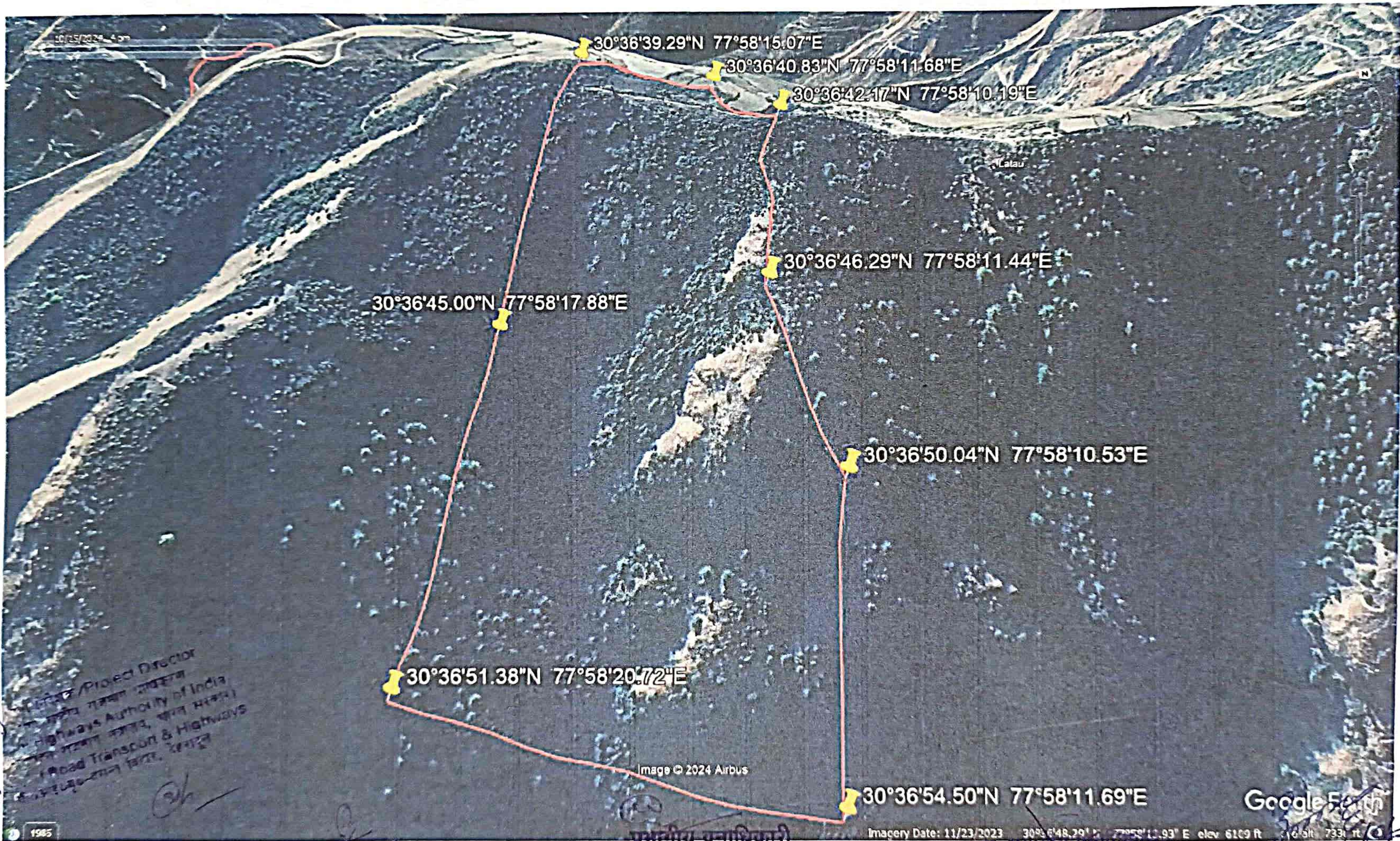

Project Director
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

M.
Revenue Sub Inspector
Area........
Tehsil........ Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

DSS Report

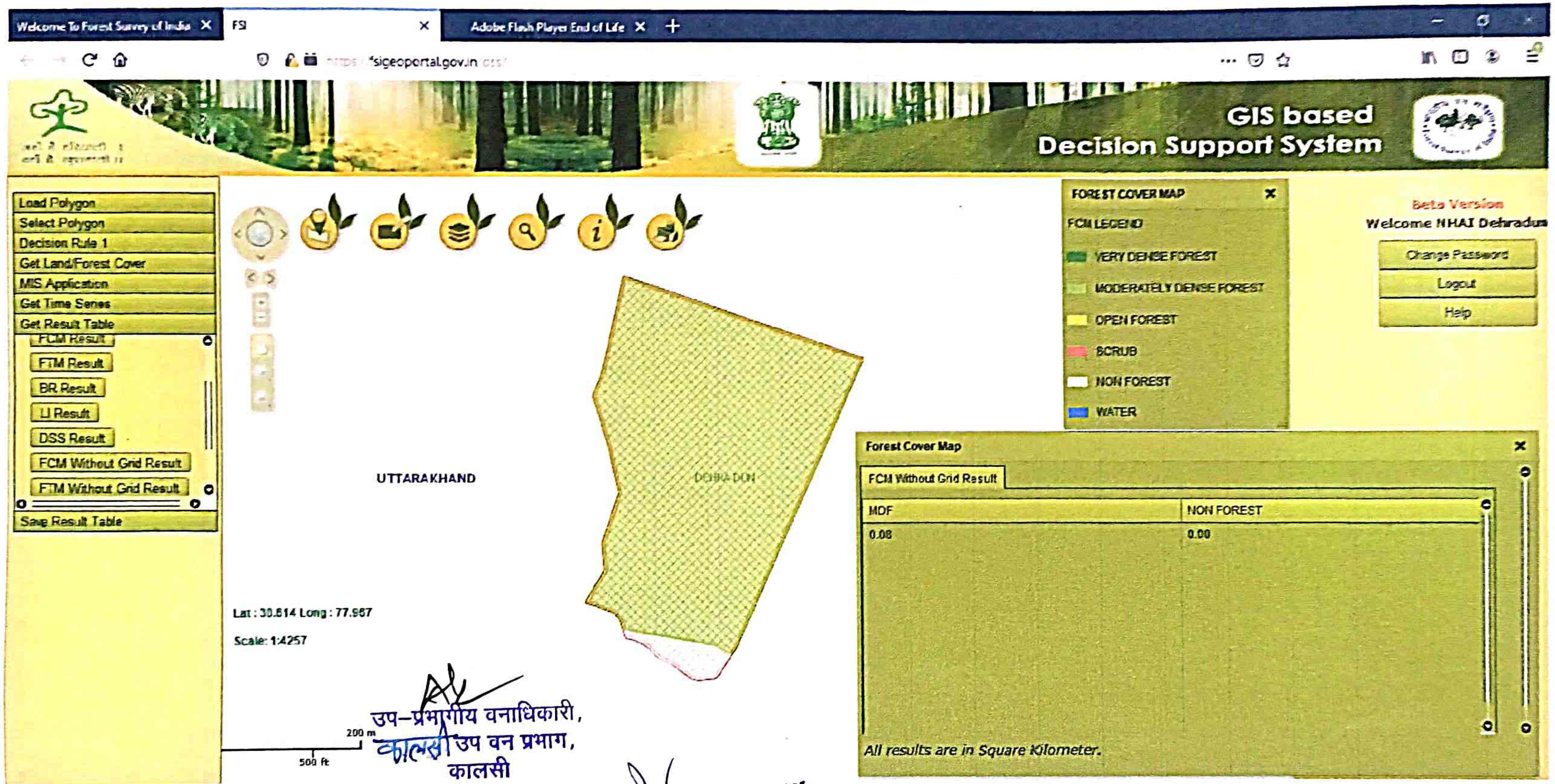

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-देहरादून विहार, देहरादून

M. K. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area........
Tehsil..........Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–1459/3–5–2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है0 @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024–25 के अनुसार।

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम– सिविल सोयम ग्राम–गडैता खसरा संख्या–1, 4 व 5 क्षेत्रफल 23.00 है0

प्रथम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है0	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिन्ग) 150 र0मी0 (0.45+0.60)/2X1.20 = 94.50 घमी0	प्रति घमी0	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरेखण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्ढा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय–				
	1–निरीक्षण बटियां	प्रति है0	1.00	1593.00	1593.00
	2–रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है0	1.00	2500.00	2500.00
	योग–प्रथम चरण				167980.70

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई–उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध ढुलान 10 प्रतिशत ढुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख–रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाडी कटान एंव फुकान	प्रति हैं0	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई–गुडाई मल्चिंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है0/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है0	1.00	4000.00	4000.00
	योग–द्वितीय चरण				70716.18
	कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण				238696.88

Drasfman . S.Binhar-2 (9)

तृतीय चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	12.00	988.00	11856.00
	योग–तृतीय चरण				**82044.00**

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
	योग–चतुर्थ चरण				**28177.00**

पंचम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–पंचम चरण				**24126.00**

षष्टम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–षष्टम चरण				**24126.00**

सप्तम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–सप्तम चरण				**24126.00**

अष्टम चरण/वर्ष

0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–अष्टम चरण				**24126.00**

नवम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–नवम चरण				**24126.00**

दसम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–दसम चरण				**24126.00**
	कुल योग				**493672.88**
	या				**493672.00**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 पी0ओ0, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024–25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 रू0 4,93,670/– स्वीकृत है।

₹ 11354410.00

23.00 हैक्टयर x **493670.00 =11354410.00**

(रूपये एक करोड़ तेरह लाख चौवन हजार चार सौ दस रूपये मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

ESTIMATE CHECKED
FOR RS. 11354410/- only
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

c/s
उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–1459/3–5–2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है0 @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024–25 के अनुसार।

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम– सिविल सोयम ग्राम–थैना खसरा संख्या–766 क्षेत्रफल 10.00 है0

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है0	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिन्ग) 150 र0मी0 (0.45+0.60)/2X1.20 = 94.50 घमी0	प्रति घमी0	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरेखण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्ढा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय–				
	1–निरीक्षण बटियां	प्रति है0	1.00	1593.00	1593.00
	2–रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है0	1.00	2500.00	2500.00
	योग–प्रथम चरण				**167980.70**

द्वितीय चरण/वर्ष					
क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई–उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध ढुलान 10 प्रतिशत ढुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख–रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाडी कटान एंव फुकान	प्रति हैं0	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई–गुडाई मल्चिंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है0/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है0	1.00	4000.00	4000.00
	योग–द्वितीय चरण				**70716.18**
	कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण				**238696.88**

Drasfman . S.Binhar-2 (8)

तृतीय चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	12.00	988.00	11856.00
	योग–तृतीय चरण				**82044.00**

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
	योग–चतुर्थ चरण				**28177.00**

पंचम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–पंचम चरण				**24126.00**

षष्टम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–षष्टम चरण				**24126.00**

सप्तम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–सप्तम चरण				**24126.00**

अष्टम चरण/वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–अष्टम चरण				**24126.00**

नवम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–नवम चरण				**24126.00**

दसम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–दसम चरण				**24126.00**
	कुल योग				**493672.88**
	या				**493672.00**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 पी0ओ0, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024–25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 रू0 4,93,670/– स्वीकृत है।

10.00 हैक्टयर x 493670.00 =4936700.00 **₹ 4936700.00**

(रूपये उनचास लाख छत्तीस हजार सात सौ रूपये मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रें.

ESTIMATE CHECKED
FOR RS....4936700/-00
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

c/s
उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
राहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–1459/3–5–2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है0 @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024–25 के अनुसार।

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम– सिविल सोयम ग्राम–लटो खसरा संख्या–148 क्षेत्रफल 8.00 है0

प्रथम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है0	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिन्ग) 150 र0मी0 (0.45+0.60)/2X1.20 = 94.50 घमी0	प्रति घमी0	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरेखण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्ढा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय–				
	1–निरीक्षण बटियां	प्रति है0	1.00	1593.00	1593.00
	2–रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है0	1.00	2500.00	2500.00
	योग–प्रथम चरण				**167980.70**

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान (30 X30 X 45 सेमी)	प्रति गड्ढा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई–उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध ढुलान 10 प्रतिशत ढुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख–रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाडी कटान एंव फुकान	प्रति है0	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई–गुडाई मल्चिंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है0/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है0	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डॉकयूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख–रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है0	1.00	4000.00	4000.00
	योग–द्वितीय चरण				**70716.18**
	कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण				**238696.88**

तृतीय चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	12.00	988.00	11856.00
	योग–तृतीय चरण				**82044.00**

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्चिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है0	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
	योग–चतुर्थ चरण				**28177.00**

पंचम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–पंचम चरण				**24126.00**

षष्टम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–षष्टम चरण				**24126.00**

सप्तम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–सप्तम चरण				**24126.00**

अष्टम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–अष्टम चरण				**24126.00**

नवम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–नवम चरण				**24126.00**

दसम चरण/वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है0/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8240.00
	योग–दसम चरण				**24126.00**
	कुल योग				**493672.88**
	या				**493672.00**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 पी0ओ0, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024–25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 रू0 4,93,670/– स्वीकृत है।

8.00 हैक्टयर x **493670.00 =3949360.00** ₹ **3949360.00**

(रूपये उनचालीस लाख उनचास हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
घुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

ESTIMATE CHECKED
FOR RS. 3949360/- only
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

Drasfman . S.Binhar-2 (7)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 13.11.2024 को कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी के पत्रांक –67/ना0ना0 2024 दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या –982/डी0एल0आर0सी0–2024 दिनांक 05 अक्टूबर 2024 एवं भा0रा0रा0प्रा0 महाप्रबन्धक (तक0) प0का0ई0–वसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्रांक –7460 दिनांक 01.10.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली – देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण से सम्बन्धित आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम गडैता व थैना तहसील कालसी रेन्ज कालसी में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक, वन विभाग की ओर से उपवन क्षेत्राधिकारी, वन आरक्षी, भा0रा0रा0प्रा0 की ओर से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट (योंगमा) के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रुप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गडैता व थैना में राजस्व विभाग की सिविल भूमि उपलब्ध है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपस्थित कर्मचारियों के हास्ताक्षर निम्नवत है। चयनित भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विवरण
1	गडैता	1	12.0000	
		4	3.0000	
		5	8.0000	
2	थैना	766	10.0000	
		कुल	**33.0000**	

13/XI-24

(अखिलेश कुमार) रा0उ0नि0 बडनू तह0 कालसी 13/11/24	(सरदार सिंह राणा) रा0नि0 तह0 कालसी	(परमालाल) उपवन क्षेत्राधिकारी भूमि संरक्षण कालसी (प्रथम) 13-11-24	(शुषमा रावत) वन बीट अधिकारी भूमि संरक्षण कालसी (प्रथम)
(सुरेशानन्द भटकोटी) वन दरोगा चकराता वन प्रभाग शीवर रेन्ज	(सतीश कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (योंगमा)	(सत्ये सिह डवोला) नायब तहसीलदार (भा0रा0रा0प्रा0)	(सुमित कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (भा0रा0रा0प्रा0)

वंदना भण्डारी
रा0उ0नि0, पैया
तह0 कालसी

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 13.11.2024 को कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी के पत्रांक –67/ना0ना0 2024 दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या –982/डी0एल0आर0सी0–2024 दिनांक 05 अक्टूबर 2024 एवं भा0रा0रा0प्रा0 महाप्रबन्धक (तक0) प0का0ई0–वसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्रांक –7460 दिनांक 01.10.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली – देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण से सम्बन्धित आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम लटौ तहसील कालसी रेन्ज चुरानी नागथात में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक, वन विभाग की ओर से वन बीट अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी एवं भा0रा0रा0प्रा0 की ओर से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट (योंगमा) के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रुप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम लटौ में राजस्व विभाग की सिविल भूमि उपलब्ध है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपस्थित कर्मचारियों के हस्ताक्षर निम्नवत है। चयनित भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विवरण
1	लटौ	148	8.0000	
		कुल	**8.0000**	

(मनोज नेगी) रा0उ0नि0 तह0 कालसी	(सरदार सिंह राणा) रा0नि0 तह0 कालसी	(धनीराम) वन बीट अधिकारी कालसी वन प्रभाग	(आनन्द सिंह रावत) वन क्षेत्राधिकारी चुरानी नागथात कालसी वन प्रभाग
(सतीश कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (योंगमा)	(सत्ये सिंह डवोला) नायब तहसीलदार (भा0रा0रा0प्रा0)	(सुमित कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (भा0रा0रा0प्रा0)	उप प्रभागीय [illegible], कालसी उप [illegible], कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प0का0ई0-वसन्त विहार, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की कालसी–प्रथम रेंज के अधीन ग्राम–गडैता में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 23.00 है0 उपयुक्त पायी गयी है।

(सुषमा रावत)
वन बीट अधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(परमालाल)
उप वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(दिनेश कुकरेती)
वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–धमना विहार, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की कालसी–प्रथम रेंज के अधीन ग्राम–थैना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 10.00 है0 उपयुक्त पायी गयी है।

(सुषमा रावत)
वन बीट अधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(परमालाल)
उप वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(दिनेश कुकरेती)
वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी–प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 ...
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
...विहार, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम– उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की चुरानी रेंज, नागथात के अधीन ग्राम–लटौ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 8.00 है0 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13.11.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैण्टाना झाडियां एवं अन्य घास उगी हुई हैं, जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैण्टाना झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुकत है।

(धनीराम)
वन बीट अधिकारी,
चुरानी रेंज, नागथात
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(आनन्द सिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी,
चुरानी रेंज, नागथात
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

वन क्षेत्राधिकारी
चुरानी रेंज, नागथात
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
बी0आई0पी0-यमुना विहार, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

ग्राम–गडैता खसरा संख्या–1, 4 व 5 क्षेत्रफल 23.00 है0

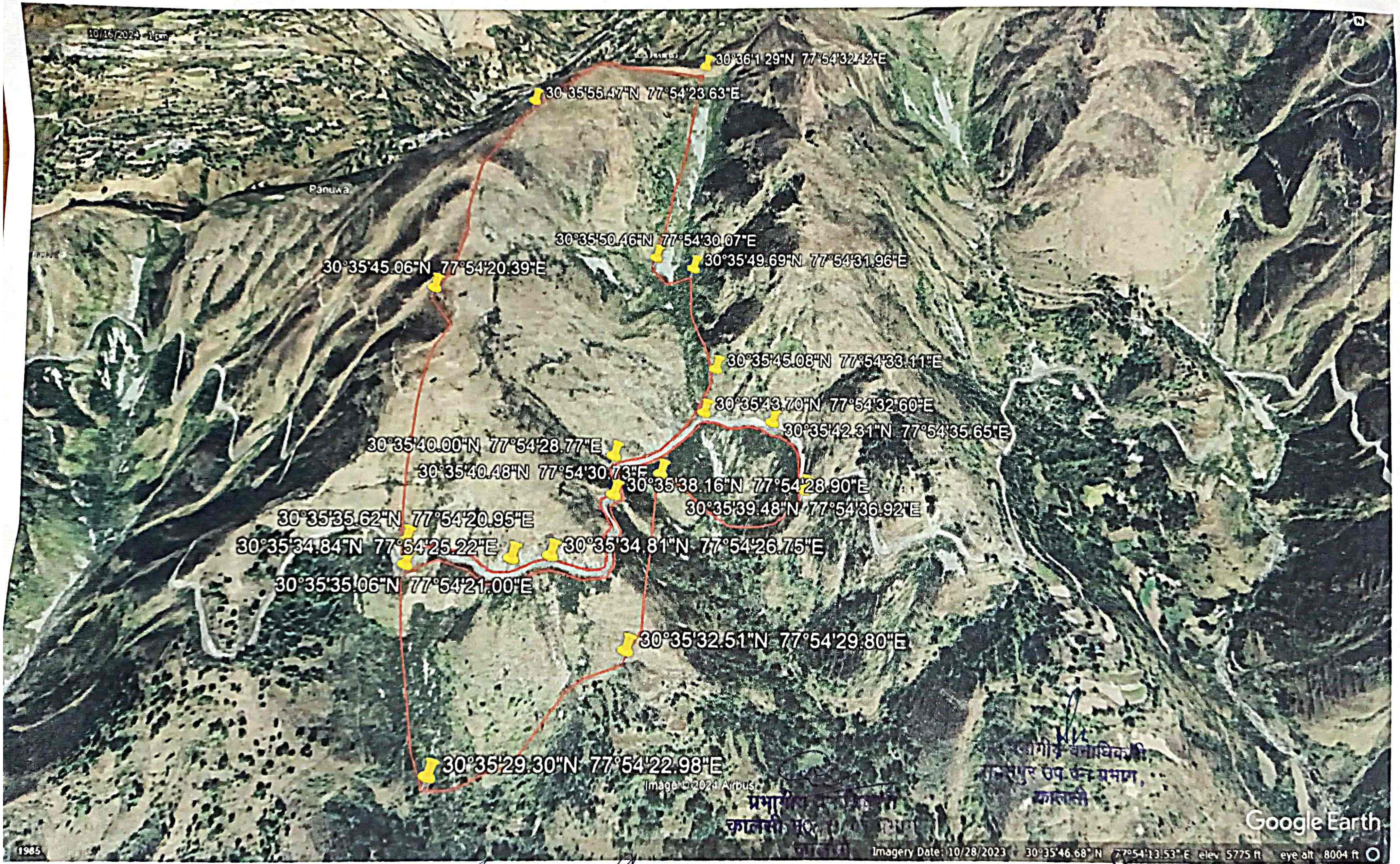

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
तहसील देहरादून

ग्राम–थैना खसरा संख्या–766 क्षेत्रफल 10.00 हे0

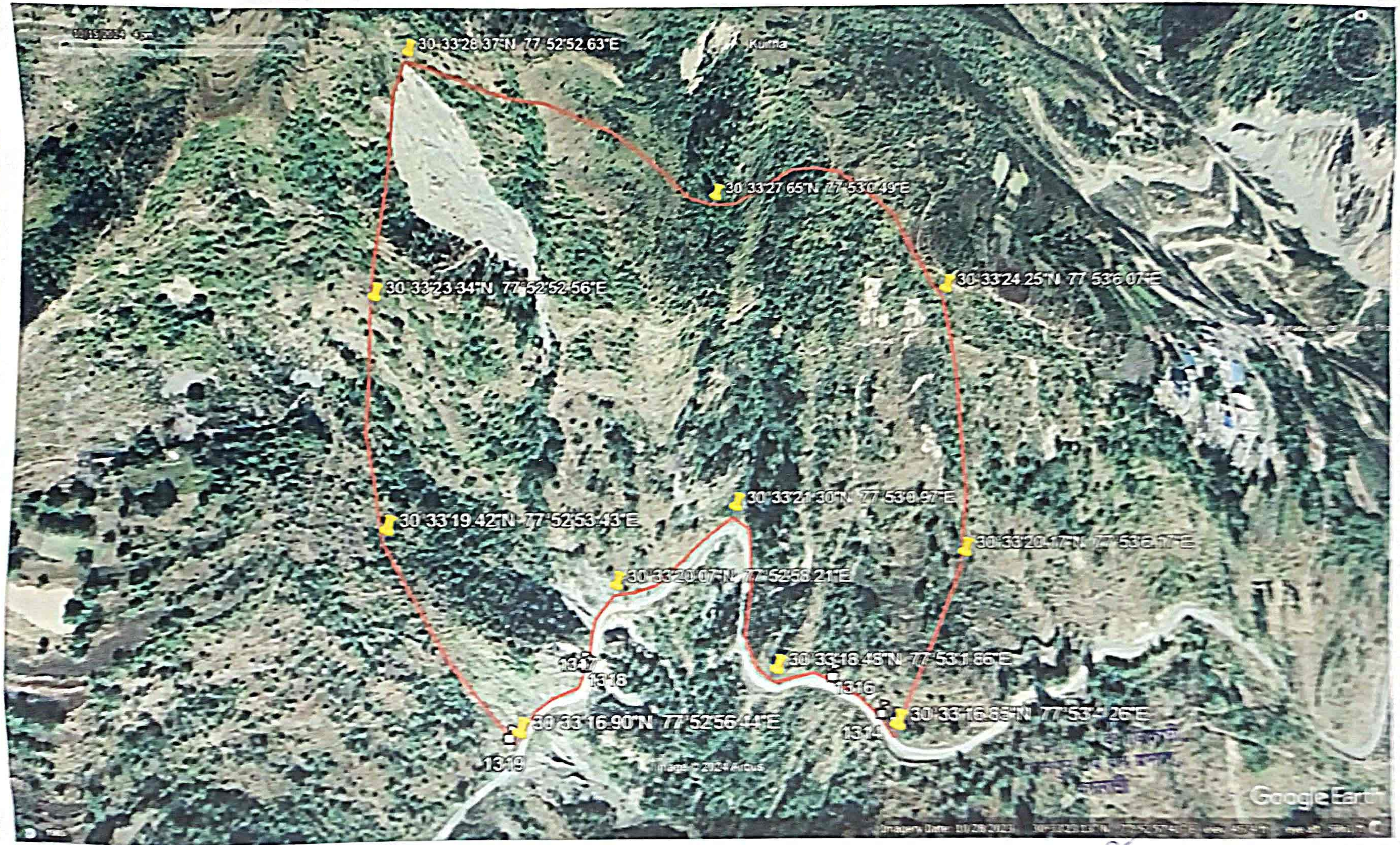

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
देहरादून

R.S.L. [illegible]
Tehsil Kalsi
Dehradun

उपप्रभागीय ... (signature)

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

ग्राम–लटौ खसरा संख्या–148 क्षेत्रफल 8.00 है0

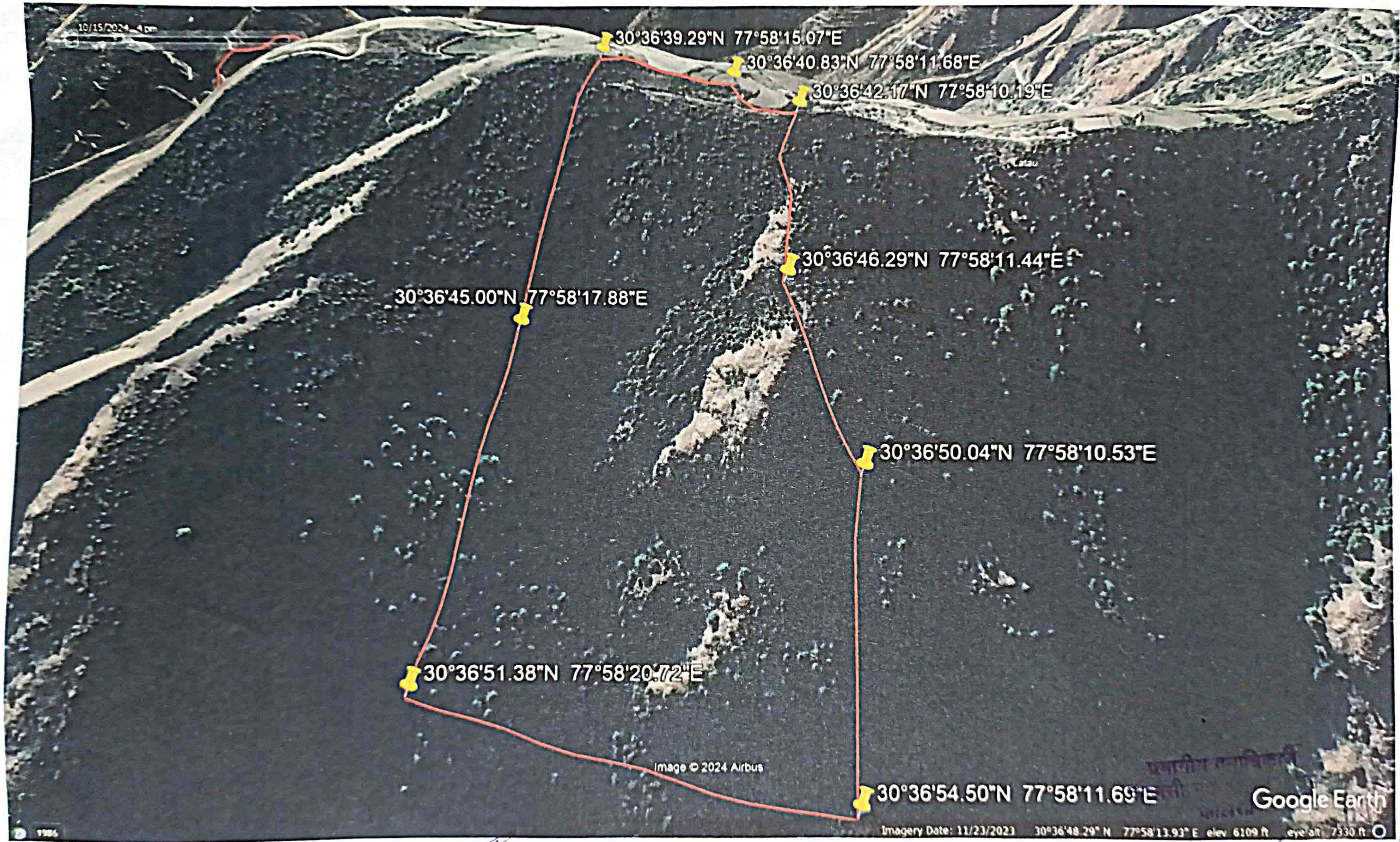

उप–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी उप वन प्रभाग, कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

M. K. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area.......
Tehsil....Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी।

प्र0 वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला रेंज